न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 78/2026 G.C.M.S. No. 2026/264 दर्ज दिनांक : 16.04.2026

अपीलार्थिगण:

01. भलगर पुत्र राजगर, जाति स्वामी, निवासी भूरियों का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

01. कैलाशगिरी पुत्र मोहनगरजी
02. पनगिरी पुत्र मोहनगरजी
03. वसनगिरी पुत्र मोहनगरजी
04. शिवगिरी पुत्र मोहनगरजी
05. पंखीदेवी पत्नी स्व. मोहनगरजी, जातियान स्वामी, निवासीगण भूरियो का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा हाल माखुपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर
06. तेजगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
07. भमरगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
08. रमेशगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
09. शिवगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
10. चुनी पुत्री थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
11. शारदा पुत्री थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
12. बादलीदेवी पत्नी थानगर जी
13. हंसगर पुत्र हमीरगरजी जातियान स्वामी जातियान भूरियों का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा हाल काजा का गोलिया, बी ढाणी तहसील सांचौर जिला जालोर
14. अजमलगर पुत्र खीमगर
15. ओमगर पुत्र खीमगर
16. कृष्णगर पुत्र खीमगर
17. बुधगर पुत्र खीमगर
18. सांवलगर पुत्र खीमगर
19. सुआदेवी पत्नी स्व. खीमगर
20. देवगिरी पुत्र मोहनगरजी, जातियान स्वामी निवासीगण भूरियो का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर
21. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, बागोड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2021(जीसीएमएस संख्या

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

2021/127) बअनवान कैलाशगिरी बनाम अजमलगर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः—

1. श्री कैराराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 27.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2021 बअनवान कैलाशगिरी बनाम अजमलगर में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् बंटवाडा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 वादीगण की साक्ष्य न लेते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। वादीगण द्वारा वाद दिनांक 21.10.2021 को प्रस्तुत किया था, उसके पश्चात कागजी कार्यवाही करते हुए अपीलांट को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से जारी करना बताया गया जबकि अपीलांट को किसी प्रकार से नोटिस नहीं मिले न ही किसी प्रकार से नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी दिनांक 14.06.2024 को किया गया एवं सीधे उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष, अपनी साक्ष्य, जवाब इत्यादि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक्स पार्टी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13/वादीगण की भी साक्ष्य नहीं ली गयी है। सीधे ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के साथ मिलावट करके एकतरफा फायदा लेने के उद्देश्य से उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2024 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2022 को नोटिस जारी करना अंकित है जिसकी तारीख पेशी दिनांक 29.03.2022 को न्यायालय में उपस्थित होने की तय गयी थी जबकि उस दिन न्यायालय मे पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं थी एवं दिनांक 14.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है जबकि नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.01.2025 को पेश होते है इन सभी कार्यवाहियो से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियों में मिलावट कर उक्त आदेश दिनांक 14.06.2024 पारित करवाया है। लिहाजा अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री को निरस्त किया जावे।

स्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 13 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2024 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनाक 10.04.2026 को पैदा हुआ जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 व अन्य लोग मौके पर आये व अपीलांट के खेत की माठ को तोड फोड करने लगे जिस पर अपीलान्ट ने पूछा कि आप मेरी खातेदारी भूमि पर क्या कर रहे हो एवं मेरी माठ को क्यो तोड रहे हो तब उपरोक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने कहा कि हमने हमारे पक्ष में एसडीओ कोर्ट से आदेश करवा लिया है अब यह खातेदारी हमारी है, हम इस पर हमारी मनमाफिक तोड फोड कर कब्जा बनायेगे, तब अपीलांट ने कहा कि मुझे ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने कहा कि हमने अन्दर मेलमिलावट कर उक्त खातेदारी आराजी हमारे मर्जी माफिक बंटवाडा करवा लिया है व निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.04.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2024 की प्रतिलिपि उसी दिनांक 13.04.2026 को प्राप्त हुई तब उपरोक्त प्राथमिक डिक्री तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक से अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार बागौड़ा को RT(BOR) Rule 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया। प्रकरण में वादी के साक्ष्य लिए बिना एवं बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अमल में लायी गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को कभी भी साक्ष्य वादी हेतु नियत नहीं की गयी एवं न ही प्रकरण में साक्ष्य ली गयी।

5. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जाता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2021 बअनवान कैलाशगिरी बनाम अजमलगर में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली